न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 152/2018

1. बद्रीप्रसाद पुत्र श्री नन्दा जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी उदावाला तहसील व जिला दौसा।

.. अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सैंथल जिला दौसा। ...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सैंथल दिनांक 20.8.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम बद्रीप्रसाद मु0नं0 127/2018 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

उपस्थित : 1. श्री एम0एल0 गुर्जर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 29.12.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार सैंथल जिला दौसा ने दिनांक 20.8.2018 को ग्राम उदावाला तहसील दौसा के आराजी खसरा नम्बर 190 में से रकबा 0.01 है0 सिवायचक किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि पर संवत 2075 में पुख्ता डंडा निर्माण करने पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना समुचित सुनवाई एवं बिना दस्तावेज रिकार्ड पर लिए एवं जिरह करने का अवसर दिये बिना एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट का पुख्ता डंडा पुराने समय से जब अपीलांट साबिक में अपनी भूमि का खातेदार दर्ज रिवेन्यू रिकार्ड था तब से चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा वाद पत्र दुरूस्ती रिवेन्यू रिकॉर्ड की अधिघोषणा का न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा मे पेश कर रखा है। अपीलांट द्वारा कोई अतिचार नहीं किया गया है बल्कि अपने साबिक खातेदारी भूमि के ही रकबेशुदा भाग बजमाने बुजुर्गान पुख्ता डंडा बनाया गया था। नक्शाशीट में भी वह आराजी तत्कालीन खसरा नंबर की खातेदारी में दर्जशुदा है। हाल सैटलमेंट में अशुद्ध रेवेन्यू रिकार्ड की ओट में विपक्षीगण के दबाव में आकर झूंठी रिपोर्ट बेजा पेश की गई है। अपीलांट की साबिक खातेदार भूमि के भाग को अशुद्ध रूप से खसरा नंबर 190 रकबा 0.01

है. गैर मुमकिन रास्ता दर्शाने की वजह से अपीलांट द्वारा नियमित वाद पत्र पेश कर दिया गया है। हाल साबिक राजस्व रिकार्ड में जांच होने के बाद वास्तविक स्थिति आ जायेगी। रिकार्ड शुद्धि की पूर्ण संभावना है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की तामील प्रति पर अपीलांट स्वयं के हस्ताक्षर अंकित हैं, जो पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट नियत तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है। अतः अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई/जिरह का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही रह जाती है। इन्द्राज दुरूस्ती बाबत कोई वाद किसी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन होने संबंधित साक्ष्य/अभिलेख अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट को पटवारी हल्का द्वारा की रिपोर्ट में राजकीय सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर पुख्ता डंडा निर्माण कर अतिक्रमण करना अंकित किया है। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक की जांच अंकित है। अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस तामील होने के उपरांत अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई व साक्ष्य एवं जिरह का अवसर नहीं दिया गया । साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सैथल जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.8.2018 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 29 दिसम्बर 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा